कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.21(1) 2022–23 / विकास / प्रमुवसं / 4276-85 दिनांक : 20.07.22
निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर / उदयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर /
भरतपुर / अजमेर / वन्यजीव, उदयपुर / वन वर्धन,जयपुर।
निदेशक,राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान,जयपुर।

विषय :– बजट आवंटन वर्ष 2022–23 राज्य निधि (आयोजना)।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक एफ 10 (13) वन / 2021 दिनांक 18.07.2022 के अनुसरण में राज्य वन नीति 2010 के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिगत, इसे अब वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायें एवं जन साधारण के सहयोग से एक वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में चलाया जावें। योजना अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 6 माह के 2 करोड और 12 माह के 3 करोड, कुल 5 करोड पौधे तैयार किये जायेगे। जिसके संबंध में पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये गये है। अतः उपलब्ध बजट प्रावधान में से आपके अधीनस्थ वन मण्डलों को 12 माह के पौध तैयारी हेतु संलग्न तालिका अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है। अतः आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. उक्त आवंटन के भौतिक लक्ष्यों में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो शीघ्र विवरण सहित अवगत करावें।
2. प्रायः ऐसा देखने में आया है कि राशि का आवंटन होने के उपरांत भी अधिकांश राशि का उपयोग वितीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में किया जाता है, जिसे महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा अपने ड्रॉफ्ट पैरा में लिया गया है। अतः मुख्य वन संरक्षकगण प्रतिमाह किये जाने वाले व्यय का मासिक कलेण्डर बनाकर प्रेषित करें तथा कलेण्डर के अनुसार व्यय कराना सुनिश्चित करें। बजट मैन्यूअल के नियम 139 की अक्षरशः पालना की जावे। मुख्य वन संरक्षकगण को यह भी निर्देशिल किया जाता है कि तालिका में अंकित त्रैमास वार व्यय की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु वे प्रतिमाह उनके द्वारा बनाये गये व्यय –कलेन्डर की monitoring करें एवं जहां अपेक्षित व्यय नही हो रहा हो वहां सुधारात्मक कदम उठायें। राशि बचत रहने की दशा में संबंधित कार्यालय व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों,वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करें। इन नियमों / आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियिमतताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वित्त(आय–व्ययक) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक F.4(1)FD-I(1)BUGET/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिए गए निर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही / स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
5. यह महत्वपूर्ण योजना है इसलिए अनिवार्यत शंतः प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग द्वारा प्रतिमाह की 8 तारीख को गत माह तक हुई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की जाती है अत <u>आंवटित राशि के विरूद्ध प्रतिमाह की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना संबंधित मुख्य वन संरक्षक निर्धारित प्रपत्रों में ऑन लाइन कर मुख्य वन संरक्षक, (आयोजना) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को आगामी माह की 5 तारीख तक प्रतिमाह अर्द्ध शासकीय पत्र से भेजना सुनिश्चित करें।</u>

यह भी सुनिश्चित किया जावे कि राशि जिस मद में आंवटित की गई है, उसी मद में नियमानुसार व्यय की जावे। किसी भी परिस्थिति में किसी मद में आंवटित राशि से अधिक व्यय नही किया जावे एवं समय–समय पर इस कार्यालय द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों की पालना की जावें।

कृपया आप इस प्रकार से आयोजना एवं वित्तीय प्रबधन करें जिससे निर्धारित वित्तीय एवं उसके अनुरूप भौतिक कार्यो की प्रगति नियमानुसार संतोषजनक रूप से समय पर होती रहे।

भवदीय,

(उदय शंकर)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ.21(1) 2022–23/विकास/प्रमुवसं/ 4286-4331 दिनांक : 20.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,राजस्थान, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त उप वन संरक्षक ....
4. प्रभारी अंक मिलान (लेखाशाखा)/संकलन शाखा(सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर अनुभाग वेब साईट पर अपलोड हेतु/
5. सूचना सहायक, क0लेखाकार (विकास अनुभाग) कार्यालय हाजा/ गार्ड फाईल।

(अमर सिंह गोठवाल)
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
राजस्थान, जयपुर

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, RAJASTHAN, JAIPUR
BUDGET ALLOCATION FOR RAGING OF PLANTS IN 2022-23 UNDER (STATE Fund)
BUDGET HEAD

4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय

01–वानिकी

800–अन्य व्यय

01–फार्म वन विद्या (राज्य निधि)

63–वृक्षारोपण

(Phy. Lac no. of plants)

S.NO	District	Name of Div.	For plants to be distributed in 2023-24	
			For raising of Plants (12 months) @ 8.86 per Plants	Amout
1	Jaipur	DCF, Jaipur (N)	10.75	95.25
2		DCF, Jaipur	10.75	95.25
3		DCF, FTI, Jaipur	0.60	5.32
4		DCF, Silviculturist, Jaipur	2.50	22.15
		Total	**24.60**	**217.96**
5	Alwar	DCF, Alwar	15.70	139.10
6	Jodhpur	DCF, Jodhpur	14.60	129.36
7	Naguar	DCF,Naguar	13.70	121.38
8	Udaipur	DCF, Udaipur	6.50	57.59
9		DCF, Udaipur (N)	6.50	57.59
		Total	**13.00**	**115.18**
10	Sikar	DCF, Sikar	11.20	99.23
11	Barmer	DCF, Barmer	10.90	96.57
12	Bharatpur	DCF, Bharatpur	10.70	94.80
13	Ajmer	DCF, Ajmer	10.10	89.49
14	Bhilwara	DCF, Bhilwara	9.80	86.83
15	Bikaner	DCF, Bikaner	4.60	40.76
16		DCF, IGNP II, Bikaner	4.60	40.76
		Total	**9.20**	**81.51**
17	Jhunjhunu	DCF, Jhunjhunu	8.70	77.08
18	Churu	DCF, Churu	8.40	74.42
19	Pali	DCF Pali	8.10	71.77
20	Jalore	DCF, Jalore	8.10	71.77
21	Banswara	DCF, Banswara	8.10	71.77
22	Sriganganagar	DCF, Ganganagar	7.60	67.34
23	Kota	DCF, Kota	7.30	64.68
24	Hanumangarh	DCF, Hanumangarh	7.00	62.02
25	Dausa	DCF, Dausa	6.40	56.70
26	Chittorgarh	DCF,Chittorgarh	6.40	56.70
27	Karauli	DCF, Karauli	6.40	56.70
28	Jhalawar	DCF, Jhalawar	6.40	56.70
29	Tonk	DCF, Tonk	5.90	52.27
30	Dungarpur	DCF, Dungarpur	5.90	52.27
31	S.Modhopur	DCF, S.Modhopur	5.30	46.96
32	Baran	DCF, Baran	5.30	46.96
33	Dholpur	DCF, Dholpur	5.30	46.96
34	Rajasamand	DCF,WL, Rajasamand	4.80	42.53
35	Bundi	DCF, Bundi	4.50	39.87
36	Sirohi	DCF, Sirohi	4.50	39.87
37	Pratapgarh	DCF, Pratapgarh	3.60	31.90
38	Jaisalmer	DCF, Jaisalmer	1.25	11.08
39		DCF,IGNP, Jaisalmer	1.25	11.08
40		Total	**2.50**	**22.15**
41		GRAND TOTAL	**280.00**	**2480.80**

(उदय शंकर)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान,जयपुर